कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 0755– 2570414 फैक्स– 0755–2555162,

E-Mail : sveepmp@gmail.com

क0 01/4/2019/वेबकास्टिंग/8966 दिनांक 14.04.2019

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषयः– लोकसभा निर्वाचन 2019 – मतदान केन्दों में Webcasting/CCTV कराये जाने के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को प्रदाय किये जाने वाले दिशा– निर्देश।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क. 8944/01/4/2019/वेबकास्टिंग दिनांक 14.04.2019

–––000–––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, इसके माध्यम से लोकसभा निर्वाचन 2019 के दौरान Webcasting/CCTV कराये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

लोकसभा निर्वाचन 2019 – मतदान केन्दों में Webcasting/CCTV कराये जाने के संबंध में पीठासीन अधिकारियों को प्रदाय किये जाने वाले दिशा– निर्देशों की प्रति Annexure-4 संलग्न है। कृपया मतदान दलों के प्रशिक्षण के दौरान उक्त निर्देशों की प्रति प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को प्रदाय करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(भुवन गुप्ता)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,
मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner

Annexure – 4

Webcasting /CCTV के संबंध में पीठासीन अधिकारियों के आवश्यक निर्देश :–

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु तथा मतदान प्रक्रिया को Webcasting/CCTV के द्वारा निगरानी करने के निर्देश दिए हैं । आपके मतदान केन्द्र पर निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिसके संदर्भ में निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना एवं इसका पालन वेण्डर द्वारा नियुक्त व्यक्ति से कराने की जिम्मेदारी संबंधित पीठासीन अधिकारी की होगी।

वेबकॉस्टिंग हेतु कैमरे की स्थापना :–

- वेबकॉस्टिंग हेतु मतदान दिवस से 2 दिवस पूर्व जिस स्थान पर Dryrun किया गया था। उस स्थान से पृथक स्थान पर सीसीटीवी एवं वेबकॉस्टिंग हेतु कैमरे को न लगाये।
- मतदान केन्द्रों पर Webcasting के दौरान कैमरे को स्थिर और मजबूत प्लेटफार्म पर या दीवार पर स्टैण्ड लगाकर पर्याप्त ऊँचाई पर जमीन से 7–8 फिट पर रखा जाना सुनिश्चित करें।
- वेण्डर के कर्मचारी द्वारा कैमरे को आयोग के निर्धारित मापदण्ड अनुसार स्थापित किया जावेगा । वेण्डर द्वारा नियुक्त कर्मचारी के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति कैमरे आदि उपकरण को न ही स्थापित करेगा और न ही स्थापित किए गए कैमरे में बदलाव अथवा छेड़छाड़ करेगा । पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला कार्यालय के द्वारा वेण्डर के प्रतिनिधि को जारी किये गये नियुक्ति पत्र की जॉच की जानी चाहिये कि वह अधिकृत व्यक्ति है या नहीं।

कैमरे से दिखने वाले पहलु (Display)

मतदान दिवस पर मोकपोल एवं वास्तविक मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को Live Webcasting की जावेगी। उस दिन मतदान केन्द्र पर कैमरे के समक्ष वेण्डर के कर्मचारी द्वारा कैमरा चालू करने के साथ ही कैमरे के समक्ष उपस्थित होकर अपना चेहरा दिखाते हुए **"मतदान प्रक्रिया आरंभ हुई" की घोषणा की** रिकार्डिंग कर आरंभ करेगा। इसी प्रकार सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया समाप्ति होने पर कैमरे के सामने उपस्थित होकर **"मतदान प्रक्रिया समाप्त हुई" की घोषणा** की रिकार्डिंग कर समाप्त करेगा।

कैमरे को ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जिससे निम्न पहलू का व्यापक दृश्य स्पष्ट रूप से कैद कर प्रसारित किया जा सके।

- मतदान अधिकारी द्वारा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया
- मतदाता की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना
- मतदाता की पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा ईव्हीएम के कन्ट्रोल इकाई का चालू करना।
- मतदान प्रकोष्ठ में मतदाता का मतदान करने हेतु प्रवेश, बैलेट यूनिट के कवर फेस को बिना दिखाए फोटो कैद करना ताकि गोपनियता संरक्षित रहे।

Scanned by CamScanner

- मतदान के दिन मॉक पोल की प्रक्रिया एवं मॉक पोल उपरांत CRC किया जाना तथा CRC उपरांत VVPAT से पर्ची निकालकर EVM एवं VVPAT को मतदान हेतु तैयार करने की पूरी प्रक्रिया।
- EVM (BU/CU), VVPAT को सीलबन्द करते हुए एवं मतदान अभिकताओं को 17–सी भाग 2 की प्रति देते हुए।
- यथा संभव मतदान ऐजेन्ट की उपस्थिति दर्शाना।

<u>वेबकॉस्टिंग तथा सीसीटीवी हेतु पोस्टर</u>

- प्रत्येक चिन्हित मतदान केन्द्रों पर Webcasting/CCTV द्वारा निगरानी की जावेगी, उन मतदान केन्द्रों पर फ्लोरोसेन्ट पीले रंग की पृष्ठभूमि काले अक्षरों से लिखे शब्द **"आप बेव कैमरा/ सी सी टी वी की निगरानी में हैं"** का साइनेज़ **30"x18"** में तैयार कराकर संबंधित पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराकर इसे मतदान केन्द्र पर लगाने हेतु लिखित में निर्देश देंगे।
- पीठासीन अधिकारी द्वारा पहला साइनेज़ मतदान केन्द्र की आऊटर वॉल पर, दूसरा साइनेज़ मतदान केन्द्र के बाहर तथा तीसरा साइनेज़ मतदान केन्द्र के स्थापित कैमरे के नीचे सहज दृश्य स्थल पर लगाया जावेगा।

<u>मतदान दिवस हेतु निर्देश :–</u>

- पीठासीन अधिकारी उसके मतदान केन्द्र में वेण्डर द्वारा जिस मेनपॉवर की नियुक्ति की गई है। उसकी आई.डी कार्ड को जाँच कर लें।
- मतदान उपरांत वेण्डर के प्रतिनिधि एवं पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाने वाले संयुक्त प्रमाण पत्र पर पूरी जानकारी भर कर एवं हस्ताक्षर कर उस वेण्डर के मेनपॉवर को दें।

Scanned by CamScanner